रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13082022-238087
SG-DL-E-13082022-238087

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] **दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2022/श्रावण 21, 1944** **[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 220**
No. 389] **DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2022/SRHAVANA 21, 1944** **[N. C. T. D. No. 220**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

फा. सं. 19(183)/परिवहन/सचि./2017/74376.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात को उचित समझते हुए एवंम संतुष्ट होने पर कि यह जन–सुरक्षा की दृष्टि से एवं दिल्ली की आम जनता की सुविधा के हित में है, इसके द्वारा अधिनियम संख्या 19(183)/परिवहन/सचि./2017/70257 दिनांक 03 अगस्त, 2021 में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन करते हैंः–

1. अनुसूची में संशोधन :–

(1) तालिका में, कमांक 3 तथा 4 की प्रविष्टियों को विला कर निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाएगा:–

3	संपूर्ण फ़िरनी रोड/ सर्कुलर रोड, नजफ़गढ (दिल्ली गेट–छावला रोड क्रॉसिंग–ढांसा रोड क्रॉसिंग–झड़ोदा	भारी माल वाहन और मध्यम माल वाहन	प्रातः 07:00 बजे से रात्रिः 11:00 बजे तक।

	स्टैंड/ कॉसिंग–नांगलोई स्टैंड/ कॉसिंग–फर्नीचर बाजार–ग्रामीण स्वास्थ प्रशिक्षण केंद्र–दिल्ली गेट जिसमें टी–पॉइंट काइस्ट मेथोडिस्ट चर्च और श्रीकृष्ण मंदिर टी–पॉइंट के बीच का रोड़ स्ट्रेच भी शामिल है।।	हल्के माल वाहन (3 पहियों वाले हल्के माल वाहनों को छोड़कर)	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और सायः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।

(2) कमांक 5 से 12 की प्रविष्टियों को कमांक 4 से 11 के रूप में पुनः कमांकित किया जाएगा।

(3) कमांक संख्या 12 की प्रविष्टियाँ जो अब कमांक 11 हो गई हैं, उन्हें निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

11	करोल बाग, सदर बाजार, कमला नगर, गांधीनगर, विकास मार्ग, सरोजनी नगर, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, युसुफ सराय, महिपालपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मुख्य बाजार सेक्टर 10, द्वारका के आसपास/ सड़कों पर।	माल वाहनों की सभी श्रेणियां।	दोपहर 12:30 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए समय–समय पर अधिसूचित मौजूदा निषेध भी लागू रहेगा।

(4) एक प्रविष्टि निम्न कमांक पर निम्नानुसार डाली जाएगी:–

12	मुख्य नांगलाई–नजफगढ़ रोड नांगलोई चौक से रिशाल गार्डन तक।	भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन (3 पहिया हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे और सायः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक।

2. उक्त अधिसूचना का तीसरा अंतिम पैरा अर्थात '' विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए समय–समय पर अधिसूचित मौजूदा निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी'' का लोप किया जाता है।

3. इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक वाहनों (वाहन श्रेणी एल 5 एन और एन 1) को निर्दिष्ट समय तथा चिन्हित सड़कों पर इन वाहनों को चलने और निष्क्रिया पार्किंग करने के लिए किसी भी प्रतिबंध से दी गई छूट जारी रहेगी।

4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अधीन उक्त निषेधाज्ञा/ प्रतिबन्धो का संकेत देने वाले उपयुक्त सूचनात्मक ट्रैफिक संकेतों द्वारा उपयुक्त स्थानों पर चिन्हित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, विशेष आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th August, 2022

F. No. 19 (183)/Tpt./Sectt./2017/74376.—In exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of general public of Delhi do hereby amend the NotificationNo. F. 19 (183)/Tpt./Sectt./2017/70257 dated 03rd August, 2021 in the following manner:-

1. **Amendments of Schedule:-**

(1) In the table, the entries at serial number 3 and 4 shall be merged and substituted as under:-

3	Entire Phirni Road/ Circular Road,	Heavy Goods Vehicles and Medium	07:00 AM to 11:00 PM

	Najafgarh (Delhi Gate – Chhawla Road crossing – Dhansa Road crossing – Jharoda Stand/ crossing – Nangloi stand / crossing – Furniture market – Rural Health Training Centre – Delhi gate including road stretch between T-Point Christ Methodist Church and Shri KrishanMandir T-Point	Goods vehicles	
		Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled light goods vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM

(2) The entries at serial number 5 to 12 shall be renumbered as serial number 4 to 11.

(3) The entries at serial number 12 which now become serial number 11 shall be substituted as under:-

11	In and around the vicinity / roads of Karol Bagh, Sadar Bazar, Kamla Nagar, Gandhi Nagar, Vikas Marg, Sarojini Nagar, Green Park, Lajpat Nagar, Yusuf Sarai, Mahipalpur, RajouriGarden, Tilak Nagar, Main Market Sector - 10, Dwarka	All categories of goods vehicles	12:30 PM to 08:00 PM The existing prohibition as notified from time to time for different categories of vehicles shall also prevail.

(4) An entry shall be inserted at Serial Number as under:-

12	Main Nangloi- Najafgarh Road from NangloiChowk to Rishal Garden	Heavy Goods Vehicles, Medium Goods vehicles and Light Goods Vehicles (excluding 3 wheeled Light Goods Vehicles)	07:00 AM to 11:00 AM 05:00 PM to 11:00 PM

2. The 3rd last para of the said notification i.e. "The existing prohibition as notified from time to time for different categories of vehicles shall also prevail" shall be deleted.

3. The exemption from any prohibition of plying and idle parking shall continue to prevail on the e-Light Goods Vehicles (vehicle category L5N and N1) on identified roads during specified times.

4. This shall also be indicated by appropriate traffic signs placed or erected under section 116 of the Motor Vehicles Act, 1988 at suitable places.

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of The Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA, Special Commissioner (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA